प्रेस विज्ञप्ति

विदेश मंत्रालय

(खाड़ी और हज प्रभाग)

निजी टूर ऑपरेटरों का पंजीकरण - हज 2014

सऊदी अरब की सरकार ने अधिसूचित किया है कि भारत सरकार के साथ पंजीकृत और हज तीर्थयात्रा की तैयारी में शामिल निजी टूर ऑपरेटरों (पीटीओ) को सऊदी अधिकारियों द्वारा निर्धारित अन्य नियमों और शर्तों को पूरा करने के आधार पर हज के लिए सामूहिक वीजा प्रदान करने के लिए पात्र होंगे।. सऊदी अरब की सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को मंत्रालय की वेबसाइट पर हज -2014 शीर्षक के अंतर्गत **"पीटी ओएस के लिए निर्देश"** के रूप में रखा गया है।

2. जिन पीटीओ ने हज - 2014 के पंजीकरण के लिए जारी की गई 21 अप्रैल 2014 की हमारी प्रेस विज्ञप्ति में, श्रेणी-वार सूची में पात्रता प्रमाणित की है, उनसे अनुबंध ए, बी और सी में दी गई विस्तृत जानकारी के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया जाता है। पात्रता मानदंड अनुबंध ए और बी में दिए गए हैं। अनुबंध ए, बी और सी में दी गई जानकारी के अनुसार दस्तावेज, निर्धारित प्रारूप (अनुबंध-सी) में, अताशे, विदेश मंत्रालय को निम्नलिखित पते पर भेजे जा सकते हैं- भारत की हज समिति का संपर्क कार्यालय, 5028 बच्चों का घर, प्रथम तल, दरिया गंज, नई दिल्ली -110002. (दूरभाष संख्या. 011-23240546, 23240547)

3. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित पीटीओ की नीति 2013-17 के अनुसार, सीटों के समग्र कोटे (हज 2014 के लिए पीटीओ के लिए आवंटित 36,000) का 70% श्रेणी- (I) के अंतर्गत पात्र पीटीओ को और श्रेणी (द्वितीय) के अंतर्गत पात्र पीटीओ के लिए 30% आवंटित किया जाएगा। योग्य पीटीओ के बीच सीटों का वितरण इस प्रकार से किया जाएगा:

(क) हज 2014 की पीटीओ सीटों(25,200) में से 70% सीटों को श्रेणी (1) के अंतर्गत पात्र पीटीओ में समान रूप से आवंटित किया जाएगा।

(ख) हज 2014 की पीटीओ सीटों(10800) में से 30% सीटों को श्रेणी (2) के अंतर्गत प्रत्येक पात्र पीटीओ के लिए 50 सीटों के हिसाब से आवंटित किया जाएगा। (पीटीओ की श्रेणी- II के तहत पात्र, 305 पीटीओ में से 88 पीटीओ (अनुबंध -III में 9 जुलाई 2013 की प्रेस विज्ञप्ति देखें) जिन्हें हज -2013 के लिए सीटें आवंटित की गई थीं, हज 2014 के सीटों के आवंटन के लिए उनपर विचार नहीं किया जाएगा। शेष पात्र पीटीओ को प्रत्येक के लिए 50 सीटों का आवंटन ड्रा द्वारा किया जाएगा।

(ग) 88 पीटीओ (अनुबंध-III में 9 जुलाई 2013 की प्रेस विज्ञप्ति देखें) जिनके बारे में हज 2014 के लिए सीटों के आवंटन के लिए विचार नहीं किया जाएगा, उन्हें 25 लाख के एफडीआर सहित अनुबंध ए, बी और सी में वर्णित किसी भी दस्तावेज को भेजने की कोइ जरूरत नहीं है।

4. यह नीति तब तक वैध रहेगी जब तक कि इसे प्रभावित करने वाले मौलिक घटनाक्रम न हों। प्रत्येक श्रेणी में योग्य पीटीओ के लिए सीटों के आवंटन वार्षिक भारत सऊदी अरब हज समझौते और प्रत्येक श्रेणी

में योग्य पीटीओ की संख्या में निर्दिष्ट सीटों के समग्र कोटे के आधार पर हर साल किया जाएगा। नीति में द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के लिए श्रेणी उर्ध्व गति की परिकल्पना की गई है। एक पात्र पीटीओ तब तक योग्य रहेगा जब तक या तो भारत सरकार द्वारा अथवा सऊदी अरब की सरकार द्वारा वैध कारणों से उसे अयोग्य घोषित न कर दिया जाए।

5. अनुबंध ए और बी में दी गई जानकारी के अनुसार आवश्यक दस्तावेज/सूचनाएं **अनुबंध सी और डी** में दिए गए प्रारूप में - अताशे, सूचना और प्रसारण में विस्तृत रूप में भेजा जाना चाहिए - अताशे (हज), विदेश मंत्रालय को निम्नलिखित पते पर इस प्रकार भेजे जा सकते हैं कि वे सोमवार, 19 मई, 2014 को अधिकतम अपराह्न 4.30 बजे से पहले भारत की हज समिति के संपर्क कार्यालय, 5028 बच्चों का घर, प्रथम तल, दरिया गंज, नई दिल्ली - 110002 में पहुँच जाएं।

28 अप्रैल, 2014

अनुलग्नक-ए

हज -2014 के लिए निजी टूर ऑपरेटरों के पंजीकरण (पीटीओ) के लिए नियम और शर्तें

प्रत्येक पीटीओ को यह प्रमाणित करना चाहिए कि यह एक वास्तविक और स्थापित टूर ऑपरेटर है, जिसे पर्यटकों/तीर्थयात्रियों को विदेश भेजने का अनुभव है इसकेलिए उसे निम्नलिखित दस्तावेजों का उत्पादन करना चाहिए:

क्रम सं	नियम एवं शर्तें
i.	सभी दस्तावेज आवेदक पीटीओ के नाम पर होने चाहिए और उन्हें आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख से पहले दिनांकित किया जाना चाहिए।
ii.	पीटीओ को तीर्थयात्रियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं और देय शुल्क का संकेत करते हुए प्रत्येक तीर्थयात्री के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहिए। सेवाओं में अन्य बातों के साथ-साथ चिकित्सा बीमा, आवास के प्रकार, परिवहन सुविधा, सऊदी अरब में तीर्थयात्रियों के रहने की अवधि, आदि को शामिल करना चाहिए। तीर्थयात्रियों के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले मॉडल समझौते की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न की जानी चाहिए।
iii.	सेवा कर के लिए पंजीकरण का विवरण।
iv.	वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान एक करोड़ रुपए के न्यूनतम वार्षिक कोरोबार (टर्नओवर) के साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत अंकेक्षित बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाते सहित, वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और आयकर रिटर्न (आईटीआर)।

v.	250 वर्ग फीट का न्यूनतम कार्यालय क्षेत्र (कारपेट क्षेत्र)। (समर्थक दस्तावेज-योजना राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ड्राइंग/लेआउट)। चार्टर्ड इंजीनियर्स/आर्किटेक्ट्स द्वारा प्रमाणित ले आऊट योजना भी स्वीकार की जाएगी।
vi.	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार 15 लाख रुपए की न्यूनतम पूंजी, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित नवीनतम बैलेंस शीट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट।
Vii	हज 2013 के लिए टिकट की खरीद या मक्का/मदीना में आवास को किराए पर लेने के लिए बैंकिंग या अन्य अधिकृत चैनलों के माध्यम से किये गए भुगतान का सबूत। टिकटों की खरीद, मक्का/मदीना में हज यात्रियों के लिए आवास किराए पर लेने के लिए, किसी भी अन्य माध्यम से किए गए भुगतान को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
viii	पैन कार्ड का विवरण (अगर पीटीओ एक मालिकाना फर्म है तो मालिक के नाम पर पैन कार्ड स्वीकार किया जाएगा)।
ix	जिस पीटीओ के खिलाफ प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट या आपराधिक अदालती मामले चल रहे हों उन पर विचार नहीं किया जाएगा।
x	पीटीओ को तीर्थयात्रियों के लिए किराए पर ली गई इमारतों के लिए अनुबंध की प्रतियां, "तसरीह" के एक प्रमाणित अंग्रेजी अनुवाद के साथ श्रेणी वार संलग्न करनी चाहिए। (कृपया हज 2013 के लिए किराये की रसीदें और सऊदी मालिकों के साथ विधिवत हस्ताक्षरित लीज डीड की एक प्रति संलग्न करें)।
xi	मुनज़्ज़म कार्ड की प्रति और हज 2013 के लिए मालिक/स्वामी के पासपोर्ट के प्रासंगिक हज वीजा के पृष्ठ।
xii	एचसीओआई, मुंबई के पक्ष में सावधि जमा के रूप में एक राष्ट्रीयकृत बैंक **31 मार्च 2015 तक वैध** 25 लाख रुपए की एक सुरक्षा जमा (रुपए पच्चीस लाखमात्र)।
xiii	आवेदन भारतीय हज समिति के पक्ष में मुंबई में देय (पांच हजार रुपए मात्र) भारतीय रुपए 5000/ - के डिमांड ड्राफ्ट के रूप में अप्रतिदेय शुल्क के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

अनुलग्नक-बी

हज 2014 के लिए अन्य महत्वपूर्ण निर्देश/दिशानिर्देश

i	आवेदन निर्धारित प्रारूप (अनुबंध-सी) में होने चाहिए और सभी दस्तावेजों को संख्या के साथ क्रमानुसार लगाया जाना चाहिए। आवेदन पत्र के शीर्ष पर उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के विवरण का संकेत करते हुए एक सूचकांक प्रदान किया जाना चाहिए।
ii	गलत जानकारी प्रस्तुत करने या किसी भी प्रासंगिक जानकारी को दबाने वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और आवेदक को पीटीओ काली सूची में डाल दिया जाएगा तथा उसकी सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी, बशर्ते कि काली सूची में डाले जाने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक को काली सूची में डाले जाने और संबंधित पीटीओ को इसका कारण दिखाने

	का अवसर नहीं दिया जाता है ।
iii	पीटीओ को तीर्थयात्रियों के सऊदी अरब के लिए रवाना होने से पहले सीजीआई (भारत के महावाणिज्य दूतावास), जेद्दा के लिए अपने तीर्थयात्रियों के बारे में पूरी जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और उसे सीजीआई की वेबसाइट- www.jeddah.com पर अपलोड करना चाहिए ।
Iv	पीटीओ को सऊदी अरब की सरकार की आवश्यकता के अनुसार टीकाकरण और अन्य चिकित्सा जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। विवरण एचसीओआई की वेबसाइट सभी तीर्थयात्रियों को स्वास्थ्य कार्ड साथ रखना चाहिए।
v	पीटीओ सऊदी अरब अधिकारियों के लिए रहने, परिवहन और अनिवार्य शुल्क के भुगतान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। पीटीओ को तीर्थयात्रियों के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के सभी नियमों और शर्तों का सम्मान करना चाहिए और यह सुनिश्चित करें कि उनमें से कोई भी असहाय नहीं छोड़ा गया है।
vi	पीटीओ को प्रत्येक तीर्थ को, जब भी वे इमारत छोड़ें, गले में पहनने के लिए अच्छी गुणवत्ता के पहचान पत्र प्रदान करने चाहिए, जिसमें तीर्थयात्री और पीटीओ का नाम, पासपोर्ट नंबर और मक्का/मदीना में उनके रहने की जगह का संकेत होना चाहिए।
vii	पीटीओ को सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत/सऊदी अरब में हज टर्मिनल छोड़ने से पहले उसके सभी तीर्थयात्रियों के सामान को मंजूरी दे दी गई है।
vii	अगर एक पीटीओ द्वारा भेजा गया कोई तीर्थयात्री सऊदी अरब में भीख माँगता पाया जाता है या सऊदी अधिकारियों द्वारा उसे फुकरा घोषित जिया जाता है तो, पीटीओ को स्थायी रूप से काली सूची में डाल दिया जाएगा और उसकी सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी।
ix	किसी भी अन्य पीटीओ को हज कोटे की सीटों की बिक्री सख्त मना है। पीटीओ के खिलाफ इस तरह की गतिविधि में लिप्त होने की कोई शिकायत प्राप्त होने के मामले में, पीटीओ को स्थायी रूप से काली सूची में डाल दिया जाएगा।
x	परिवार का केवल एक सदस्य हज -2014 के लिए पंजीकरण के लिए पात्र होगा। इसलिए, परिवार के केवल एक सदस्य को पंजीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए। परिवार में पत्नी और आश्रित बच्चे शामिल होंगे। एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों द्वारा पात्रता की शर्तों को पूरा करने और अगर उनमें से एक के महिला होने पर, महिला को के लिए पंजीकरण के लिए दूसरों पर प्राथमिकता दी जाएगी और अगर कोई महिला परिवार की सबसे अधिक उम्रदराज सदस्य है तो हज -2014 के पंजीकरण के लिए उसे वरीयता दी जाएगी। कोई पीटीओ निदेशक/भागीदार/मालिक के रूप में अपनी क्षमता में एक से अधिक पीटीओ में आवेदन नहीं कर सकता है।
xi	पीटीओ को केवल एक आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। अगर यह पाया जाता है कि एक पीटीओ ने अलग-अलग नामों में एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किया गया है, तो ऐसे सभी आवेदनों को खारिज कर दिया जाएगा और ऐसे सभी पीटीओ को काली सूची में डाल दिया जाएगा और उनकी सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी।
xii	पूर्वगामी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सभी दावों, विवादों और मतभेदों का समाधान दिल्ली में न्यायालयों के अधीन किया जाएगा।

अनुलग्नक - सी

हज-2014 के लिए निजी टूर ऑपरेटर के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन (पीटीओ)

1	निजी टूर ऑपरेटर का नाम और श्रेणी जिसके अंतर्गत पीटीओ के लिए आवेदन करना चाहता है।	
2	फर्म/टेलीफोन, फैक्स, ई-मेल और वेबसाइट का पता (अगर हज-2013 के बाद से पते में कोई परिवर्तन हुआ है, तो उसे भी संकेतित किया जा सकता है)	
3	जो हज -2014 के दौरान सऊदी अरब के राज्य में उपस्थित रहने वाले फर्म के प्रतिनिधियों के नाम और संपर्क विवरण।	
4	कर्मचारियों की संख्या (स्थायी के साथ-साथ मौसमी को अलग-अलग दिखाते हुए), कंप्यूटर की संख्या, और अन्य कार्यालय उपकरण।	
5	कार्यालय का क्षेत्र (कृपया तस्वीरों के साथ समर्थन दस्तावेज संलग्न करें)	
6	क्या कार्यालय हज /उमरा के लिए विशेष रूप से स्थापित किया गया है या उसके परिसर से कोई अन्य व्यवसाय भी किया जाता है।	
7	(i) क्या विदेश मंत्रालय के साथ पहले से पंजीकृत हैं? (ii) यदि हाँ, तो हज 2013 के लिए प्रमाण पत्र और "तसरीह" की प्रतियां संलग्न करें।	हाँ /नही
8	क्या सेवा कर के लिए पंजीकरण का विवरण प्रदान किया गया है।	हाँ /नही
9.	पीटीओ को हज-2013 के लिए टिकटों की खरीद की दिशा में बैंकिंग चैनल के माध्यम से किए गए भुगतान के अपने दावे के समर्थन में तीर्थयात्रियों के लिए किराए पर ली गई इमारतों के लिए अनुबंध की प्रतियां, "तसरीह" के एक प्रमाणित अंग्रेजी अनुवाद के साथ संलग्न करनी चाहिए, आईएटीए रसीदों, टिकट के विवरण के साथ जमा करनी चाहिए।	
10	25 लाख रुपए के लिए सावधि जमा रसीद (एफडीआर) का मूल विवरण - संलग्न किया जाना चाहिए।	
11	अप्रतिदेय प्रसंस्करण शुल्क के रूप में भारत की हज समिति पक्ष में, मुंबई में देय भारतीय रुपए 5000/- के बैंक ड्राफ्ट का विवरण।	
12	मकतब संख्या और सऊदी अरब में सेवा प्रदाता का नाम(पहले से पंजीकृत पीटीओ के मामले में) ।	

13	सऊदी अरब के राज्य में तीर्थयात्रियों के पहुँचने की संभावित तारीख।	
14	सऊदी अरब के राज्य से हज यात्रियों की रवानगी की संभावित तारीख।	
15	तीर्थयात्रियों के लिए किए जाने वाले परिवहन समझौते/व्यवस्थाओं का प्रकार।(कूपन दर और मार्ग)	
16	अभिविन्यास/प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने की व्यवस्था।	
17	सऊदी अरब के राज्य में स्थानीय संवाददाता कंपनी का नाम, पता और टेलीफोन नंबर।	
18	(क) क्या अन्य स्थानों में पीटीओ की शाखाएं हैं: (ख) अगर हां तो कृपया विवरण दें: (ग) क्या इन शाखाओं ने अलग से पंजीकरण के लिए आवेदन किया है? यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।	
19	क्या पुलिस अधिकारियों के साथ पीटीओ के खिलाफ कोई मामला/शिकायत दर्ज किया गया है। पूरी जानकारी प्रदान करें। अगर इस तरह की कोई शिकायत/मामला दर्ज नहीं है, तो इस दावे के समर्थन में एक शपथ पत्र संलग्न करें।	
20	निम्न की जानकारी देते हुए हाजियों के साथ मॉडल समझौते की एक प्रति संलग्न करें।	
21	उपलब्ध कराई गई सेवाए और देय शुल्क।	
22	वित्तीय वर्ष 2012-2013 या 2013-14 के लिए पीटीओ का एक करोड़ रुपए का सालाना कारोबार है या नहीं।	
23	पैन कार्ड, मुनज़्ज़म कार्ड और प्रासंगिक हज/उमरा वीजा पृष्ठों की प्रतिलिपि का ब्यौरा संकेतित करें। क्या पैन/ मुनज़्ज़म कार्ड व्यक्ति/कंपनी/फर्म के नाम पर है।	
24	क्या 31 मार्च 2013 को पीटीओ के पास 15 लाख रुपए की न्यूनतम पूंजी है।	
25.	क्या हज-2013 के लिए टिकट की खरीद और मक्का/मदीना में आवास के लिए इमारतों को किराए पर लेने के लिए भुगतान बैंकिंग या अन्य अधिकृत चैनलों के माध्यम किया गया है। यदि हाँ, तो जानकारी प्रदान करें।	
26	क्या पीटीओ के परिवार के किसी अन्य सदस्य ने भी आवेदन किया है। यदि हाँ, तो आवेदन करने के औचित्य के साथ विवरण और कारण प्रदान करें।	
27	उनकी उमरा के अनुभव के आधार पर अर्हता प्राप्त पीटीओ संकेतfl कर सकते हैं कि क्या पीटीओ के पास सऊदी अधिकारियों से प्राप्त उमरा तीर्थयात्रा का संचालन करने के लिए एक वैध लाइसेंस है। यदि हां, तो तत्संबंधी एक प्रति प्रदान करें।	

(कंपनी के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और मुहर)

<u>अनुलग्नक-डी</u>

<u>निजी टूर ऑपरेटरों (पीटीओ) के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र हज 2014</u>

<u>फाइल सं. -सीएटी- I/II ( )</u>

(क) <u>बुनियादी विवरण:</u>

(i)	**निजी टूर ऑपरेटर का नाम और पता**	**संपर्क**	**विवरण**
			दूरभाष सं.
			मोबाइल नं
			फैक्स नं
(ii)	क्या पिछले हज के बाद से पीटीओ के पते में कोई बदलाव किया गया है। (यदि हाँ, तो उसका कारण और समर्थन के लिए दस्तावेज)		ईमेल आईडी
(iii)	क्या पिछले हज के बाद से पीटीओ के पते में कोई बदलाव किया गया है। (यदि हाँ, तो उसका कारण और समर्थन के लिए दस्तावेज)		
(iv)	स्वामित्व / भागीदारी / कंपनी		
(v)	मालिक / भागीदार / निदेशक का नाम		

(ख) विवरण अनुलग्नक के अनुसार:

	विवरण	**पीटीओ की टिप्पणियां**	**केवल कार्यालय के उपयोग के लिए (निजी टूर ऑपरेटर द्वारा नहीं भरा जाएगा)**		
			क्या प्रस्तुत की गई है (हाँ / नहीं)	**दस्तावेजों में पाई गई कोई विसंगति (हाँ / नहीं)**	**टिप्पणियाँ**
(i)	क्या कार्यालय को हज/उमरा के लिए विशेष रूप से स्थापित किया गया है या इस परिसर से कोई अन्य व्यवसाय भी किया जाता है। (इस बात का भी अलग से खुलासा किए जाने की जरूरत है कि क्या पीटीओ टिकटों की बिक्री / खरीद का				

	भी व्यापार कर रहा है)				
(ii)	सर्विस टैक्स के पंजीकरण के प्रमाण पत्र की प्रति। (फ़ाइल की पृष्ठ सं.)				
(iii)	पीटीओ को तीर्थयात्री को प्रदान की जाने वाली सेवाओं और हज-2014 के लिए देय शुल्क का संकेत करते हुए प्रत्येक तीर्थयात्री के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। क्या हज -2014 के लिए तीर्थयात्रियों के साथ हस्ताक्षर किए जाने के लिए मॉडल समझौते की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न की गई है और उसमें प्रति तीर्थयात्री पर लगाई जाने वाली प्रस्तावित दर का भी संकेत मिलता है। मॉडल समझौते में अन्य बातों के साथ-हज 2014 के दौरान प्रदान करने के लिए निम्नलिखित सेवाओं को भी शामिल करना चाहिए: •चिकित्सा बीमा • आवास का प्रकार • सऊदी अरब में रहने की अवधि में परिवहन सुविधा। प्रत्येक तीर्थ यात्रा से ली जाने वाली राशि (राशि -)				
	(फ़ाइल की पृष्ठ सं.:				
(iv)	250 वर्ग फुट का न्यूनतम कार्यालय क्षेत्र। (कारपेट क्षेत्र)। निम्नलिखित में से किसी के मूल दस्तावेज़ द्वारा समर्थित। (सहायता के रूप में प्रदान किए गए दस्तावेज़ों को चिह्नित करें और कार्पेट क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र में भरें) <table><tr><th>दस्तावेज़</th><th>कार्पेट एरिया (वर्ग फुट में)</th><th>फ़ाइल की पृष्ठ संख्या</th></tr><tr><td>राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेशों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित लेआउट योजना</td><td></td><td></td></tr><tr><td>चार्टर्ड इंजीनियर्स/ आर्किटेक्ट्स द्वारा प्रमाणित लेआउट योजना</td><td></td><td></td></tr></table> उपरोक्त दस्तावेज मूल और उक्त पीटीओ के पते और कार्यालय के कार्पेट क्षेत्र को निर्दिष्ट करते हुए होने चाहिए।				

(v)	वित्तीय वर्ष 2012-13 में एक करोड़ रूपये का न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित वित्तीय स्टेटमेंट (बैलेंस शीट और लाभ और हानि के बयान), लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (आय कर के रूप 3सीडी सहित) और आयकर रिटर्न (आईटीआर) वित्तीय वर्ष 2012-13 की रसीद के साथ।				

<u>उपरोक्त दस्तावेजों द्वारा समर्थित</u> पीटीओ के कारोबार का उल्लेख करें:

वित्तीय वर्ष	**⁕ कारोबार (टर्नओवर) की राशि (लाख रुपए में)**	फ़ाइल की पृष्ठ संख्या
2012-13		

<u>उपरोक्त दस्तावेजों द्वारा समर्थित नीचे उल्लिखित विवरण:</u>

वित्तीय विवरण	**वित्तीय वर्ष**	**<u>क्या प्रस्तुत किया गया है (हां / नहीं)</u>**	**फ़ाइल की पृष्ठ संख्या**
लेखा परीक्षित तुलनपत्र और लाभ-हानि का विवरण	2012-13		
(सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एक कंपनी के रूप में पंजीकृत पीटीओ के मामले में)	2012-13		
<u>टैक्स ऑडिट रिपोर्ट</u> (आयकर के फार्म 3सीडी सहित			

<table>
<tr>
<td></td>
<td><table><tr><td># आयकर रिटर्न (पावती के साथ)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td>
<td></td><td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><u>टिप्पणी:</u>
* संबंधित वर्ष के लिए पीटीओ के अंकेक्षित वित्तीय स्टेटमेंट्स में दिखाई गई राशि को कारोबार की राशि के रूप में माना जाना चाहिए। कारोबार (टर्नओवर) की राशि का मतलब एजेंटों के मामले में कमीशन की राशि और टूर संचालकों के मामले में कुल आय से है। इसके अलावा, कारोबार की राशि को एक एजेंट के रूप में काम करते पीटीओ द्वारा एक एजेंट के रूप में काम करते हुए खरीदी और बेची गई टिकटों की सकल बिक्री राशि से खरीद की सकल राशि को घटा कर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का मतलब आयकर अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक प्रपत्र 3सीडी के साथ 3सीए / 3सीबी प्रस्तुत करने से है।

आयकर रिटर्न के साथ वापसी की उपर्युक्त पावती की नकल प्रस्तुत की जानी चाहिए।</td>
<td></td><td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td>(vi)</td>
<td>सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित नवीनतम बयानों द्वारा समर्थित 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार न्यूनतम 15 लाख रुपए की पूंजी।
प्रस्तुत किए गए लेखा परीक्षित तुलन पत्र से निम्नलिखित का उल्लेख करें।

<table>
<tr><th>वित्तीय वर्ष</th><th>पूंजी की राशि* (रुपए में)</th><th>फ़ाइल की पृष्ठ संख्या</th></tr>
<tr><td>2012-13</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<u>टिप्पणी:</u>
* पूंजी की राशि को संबंधित वर्ष के लिए पीटीओ के अंकेक्षित वित्तीय विवरण में दर्शाए रूप में माना जाना चाहिए।</td>
<td></td><td></td><td></td><td></td>
</tr>
</table>

(vii)	हज -2013 के लिए टिकट की खरीद और मक्का/मदीना में आवासों को किराए पर लेने की दिशा में बैंकिंग या अन्य अधिकृत चैनलों के माध्यम से किये गए भुगतान का सबूत।		

ब्यौरे	**विक्रेता का नाम**	**टिकटों की संख्या /विदेशी मुद्रा की राशि**	**खरीद की राशि / भुगतान (रुपए में)**	**फ़ाइल की पृष्ठ संख्या**
टिकट				
टिकट की खरीद का सबूत। टिकट चालान टिकटों की खरीद के भुगतान का सबूत अर्थात बैंक स्टेटमेंट /				
निवास				
- पीटीओ या बीटीक्यू के नाम पर विदेशी मुद्रा की खरीद का सबूत अर्थात् विदेशी मुद्रा चालान । विदेशी मुद्रा की खरीद के खिलाफ भुगतान का सबूत अर्थात बैंक स्टेटमेंट				
<u>टिप्पणी:</u> 1. बैंकिंग या अन्य अधिकृत चैनलों के अलावा अन्य किसी भी विधि द्वारा किए गए भुगतान स्वीकार नहीं किए जाते हैं।				

	2.बैंक हस्तांतरण सलाह/हों या विक्रेता प्राप्तियों के समर्थन में बैंक स्टेटमेंट (लेन-देन को दर्शाती) की प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए। 3. एक से अधिक विक्रेता से खरीदी गई टिकट और विदेशी मुद्रा को संबंधित विवरण के अंतर्गत अलग पंक्तियों में और से अलग से दिखाने की जरूरत है। 4. टिकट चालान में तीर्थयात्रियों के नाम, टिकट नंबर, यात्रा/वापसी की तिथि और टिकट की राशि को शामिल करना चाहिए। 5. हज -2013 के लिए कोटा के आवंटन की तारीख से पहले सऱीदी गई टिकट और/या विदेशी मुद्रा परविचार नहीं किया जाएगा। 6.अगर टिकट और/या विदेशी मुद्रा की खरीद के लिए भुगतान किश्तों में किया गया हो तो इसे अलग से पंक्तियों डाल कर अलग से दिखाया जा सकता है, तो और यहां उल्लिखित बैंक स्टेटमेंट के पृष्ठों पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। 7. अगर पीटीओ का अपना आईएटीए पंजीकरण हो और टिकट स्वयं के खाते से बुक किए गए हों, तो पीटीओ को अपने स्वयं के टिकट खरीदने के लिए एयरलाइंस को किए गए भुगतान के दावे का समर्थन करने के लिए आवश्यक समर्थन दस्तावेज/बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। 8.टिकट या विदेशी मुद्रा की खरीद के लिए नकद में किये गए किसी भी भुगतान को अलग पंक्ति में दिखाया जाना चाहिए।		
(viii)	**पीटीओ के नाम पर पैन कार्ड की प्रति** (पीटीओ के मालिकाना फर्म होने की स्थिति में मालिक के नाम पर पैन कार्ड स्वीकार किए जाएंगे)। (फ़ाइल की पृष्ठ संख्या)		
(ix)	प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट के साथ या अदालत के आपराधिक मामलों में शामिल पीटीओ पर विचार किया जाएगा। इसलिए, पीटीओ को एक शपथ पत्र पत्र में घोषणा करनी होगी कि उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट लंबित नहीं है और वह किसी भी आपराधिक अदालती मामले/लों में शामिल नहीं है।		

हलफनामे की तारीख:

(फ़ाइल की पृष्ठ संख्या)

टिप्पणी:

1. ऐसे पीटीओ जिसके अदालती मामले में अदालत द्वारा स्थगन जारी किया जाता है, उन पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

(x) अपने दावे के समर्थन में हज -2013 के वर्ष के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा पीटीओ को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतियां श्रेणी प्रस्तुत करें।

पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.	**तीर्थयात्रियों के नाम**	**पीटीओ की श्रेणी**	**फाइल की पृष्ठ सं.**

(xi) हज -2013 के लिए तीर्थयात्रियों के लिए किराये पर ली गई इमारतों के अनुबंध और "तसरीह" को उनके अंग्रेजी अनुवाद के साथ मक्का और मदीना दोनों के लिए सऊदी मालिकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किराए की रसीदों प्रस्तुत की जानी चाहिए।

स्थान	**अनुबंध/तसरीह की तारीख**	**इमारत के मालिक का नाम**	**तीर्थयात्रियों की संख्या/राशि (रु. में)**	**मोसासर का नाम**	**फाइल की पृष्ठ सं.**
<u>अनुबंध/तसरीह</u>					
मक्का/ मदीना					

स्थान	**किराए की रसीद की तारीख**	**इमारत के मालिक का नाम**	**किराया (रु. में)**	**(रु. में) भुगतान का तरीका**	**फाइल की पृष्ठ सं.**
किराए की रसीद					
मक्का					
मदीना					

<u>टिप्पणी:</u>

एक से अधिक इमारत के मालिकों से किराए पर ली गई इमारतों को संबंधित ब्यौरे के अंतर्गत पंक्तियाँ डाल कर से अलग से दिखाने की जरूरत है ।

2. हज 2013 के लिए भवन कोटा के आवंटन की तारीख से पहले किराए पर ली गई इमारतों पर विचार नहीं किया जाएगा।

<table>
<tr><td>(xii)</td><td>मुनज़्ज़म कार्ड और हज 2013 के वर्ष के लिए मालिक/स्वामी/भागीदार/ निदेशक के पासपोर्ट के प्रासंगिक हज वीजा पृष्ठों की प्रति।

निम्नलिकित विवरणों का भी उल्लेख करें.
<table>
<tr><td>ब्यौरा</td><td>विवरण</td><td>फाइल की पृष्ठ सं.</td></tr>
<tr><td>पासपोर्ट पर उल्लिखित नाम</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>पासपोर्ट नंबर और वैधता</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>मुनज़्ज़म कार्ड पर उल्लिखित पीटीओ का नाम</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>मुनज़्ज़म कार्ड पर उल्लिखित जिम्मेदार व्यक्ति का नाम</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>मुनज़्ज़म कार्ड संख्या</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>हज वीजा पृष्ठों पर उल्लिखित पीटीओ का नाम</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>हज वीजा पृष्ठों पर उल्लिखित जिम्मेदार व्यक्ति का नाम</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>हज वीजा पृष्ठों पर उल्लिखित पासपोर्ट संख्या</td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(xiii)</td><td>दस्तावेज़ (आवेदन में हलफनामा/घोषणा) कि पीटीओ के परिवार के किसी अन्य सदस्य ने हज -2014 के लिए आवेदन नहीं किया है।
यदि हाँ, आवेदन में दर्ज औचित्य के साथ आवेदन करने के कारण और विवरण।
(फाइल की पृष्ठ सं.)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(xiv)</td><td>हज-2013 के दौरान सऊदी अरब में मकतब संख्या की प्रति और सेवा प्रदाता का नाम
<table>
<tr><td>मकतब संख्या</td><td></td></tr>
<tr><td>सेवा प्रदाता का नाम</td><td></td></tr>
</table>
(फाइल की पृष्ठ सं.:)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(xv)</td><td>सऊदी अरब के राज्य में तीर्थयात्रियों के आने की संभावित तारीख।</td></tr>
<tr><td>(xvi)</td><td>सऊदी अरब के राज्य में तीर्थयात्रियों के आने की संभावित तारीख।</td></tr>
<tr><td>(xvii)</td><td>सऊदी अरब के राज्य से हज यात्रियों की रवानगी की संभावित तारीख।
क) क्या अन्य स्थानों में पीटीओ की शाखाएं हैं:</td></tr>
</table>

	यदि हाँ, तो शाखाओं और जहां वे स्थित हों उस स्थान का विवरण प्रदान करें ख) क्या इन शाखाओं ने भी पंजीकरण के ले अलग से आवेदन किया है? यदि हाँ, तो कृपया विवरण प्रदान करें

(पीटीओ के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और मुहर)